न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली कैम्प सिरोही
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चौहान, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 09/2018

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1. क्षेत्रीय वन अधिकारी, सिरोड़ी तहसील रेवदर जिला सिरोही		1. श्री महामंत्री जैन पार्श्वनाथ जैन तीर्थ जिरावला ट्रस्ट, निवासी जीरावल तहसील रेवदर 2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार रेवदर

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :
श्री नरेन्द्रसिंह देवड़ा, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
श्री राजेन्द्रसिंह आढ़ा, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1
सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से।

—:: निर्णय ::—

दिनांक : 15.2.19

————0————

अपीलाण्ट की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत रेस्पोडेन्ट्स के विरूद्ध प्रस्तुत कर जिला कलक्टर सिरोही द्वारा पारित आदेश क्रमांक/प.12(3)(66)राज./04/821—29 दिनांक 26.03.2007 को अपास्त कराने का निवेदन किया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम जीरावल के खसरा नम्बर 426 रकबा 54 बीघा 12 बिस्वा किस्म खा.ख., खसरा नम्बर 434 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा किस्म खा.ख. में से क्रमशः 15 बीघा व 3 बीघा कुल खसरा 2 जिसका कुल रकबा 18 बीघा भूमि की रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा किस्म खारिज़ करते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को तीर्थ के तीर्थोद्वार हेतु नवनिर्माण में धर्मशाला भवन, उपाश्रय भवन, भाताधर भवन, संघ भोजनालय भवन, व्याख्यान मण्डप, मेला आयोजन व्यवस्था, पर्यावरण उद्यान बगीचा बनाने हेतु राजस्थान भू राजस्व (स्कूलों, कॉलेजों, चिकित्सालय, धर्मशालाओं एवं सार्वजनिक उपयोग के भवन निर्माणार्थ अनाधिवासित राजकीय कृषि भूमि का आवंटन) नियम 1963 के तहत आवंटन किया गया। उक्त आवंटी की अपीलाण्ट को कोई सूचना नहीं दी गई तथा न ही कोई आपत्ति इश्तिहार जारी किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के आवेदन पत्र पटवारी हल्का एवं तहसीलदार की रिपोर्ट को आधार मानते हुए जैर अपील

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

आदेश पारित किया गया है, जो विधि विरूद्ध हैं। जैर अपील विवादित आराजी वन विभाग की भूमि है एवं क्षेत्रीय वन अधिकारी सिरोड़ी, सर्वेयर के साथ सीमाज्ञान में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का अपीलाण्ट वन विभाग की भूमि पर निर्माण कार्य पाया गया हैं। इस पर अपीलाण्ट द्वारा वन संरक्षक सिरोही के समक्ष राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया, जिसमें दिनांक 16.05.2018 को निर्णय पारित करते हुए वन भूमि पर नियम विरूद्ध आवंटन की स्थिति में अपीलाण्ट को सक्षम स्तर से उक्त आवंटन को निरस्त कराने हेतु सक्षम स्तर से कार्यवाही करने के आदेश पारित किए है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विरूद्ध रूप से कार्यवाही करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया गया है, जबकि जिस भूमि पर आवंटन किया गया है, वह भूमि वन विभाग की भूमि है, जो आवंटन हेतु उपलब्ध नहीं थी। इस कारण जैर अपील आदेश त्रुटीपूर्ण हैं। अतः अपील स्वीकार करावें एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील आदेश को अपास्त करावें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायलय द्वारा विधिवत जांच करने के पश्चात जैर अपील आदेश पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटी नहीं हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदन पत्र की सिलसिलेवार जांच करवाई गई है तथा समस्त जांच रिपोर्टो में आवंटन करने की अनुशंषा करने पर सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त करने के पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं हैं।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। प्रथमतः अपीलाण्ट द्वारा जैर अपील आवंटन आदेश को अपास्त कराने का जो आधार अंकित किया गया है, उसमें अनुसार जैर अपील विवादित आराजी को वन विभाग की भूमि होना बताते हुए आवंटन को अपास्त कराने का अनुतोष चाहा है। इस बिन्दु के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता हैं कि वक्त आवंटन जैर अपील विवादित आराजी ग्राम जीरावल के खसरा नम्बर 426/1 रकबा 57 बीघा 10 बिस्वा की भूमि राजस्व रेकर्ड के अनुसार सरकारी भूमि दर्ज थी। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि वक्त आंवटन उक्त भूमि वन विभाग के नाम दर्ज ही नहीं थी। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा भूमि आवंटन का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार रेवदर एवं उपखण्ड अधिकारी रेवदर से जांच रिपोर्ट तलब की। तहसीलदार रेवदर द्वारा निर्धारित प्रारूप में जांच रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की, जिसमें वांछित भूमि को विवाद रहित होना बताते हुए आवंटन कराने की अनुशंषा की। इस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण वास्ते सक्षम स्वीकृति हेतु राजस्व (ग्रुप-3) विभाग को भिजवाया गया। राजस्व (ग्रुप-3) विभाग द्वारा जारी स्वीकृति क्रमांक प02(571)राज./3/06 दिनांक 16.03.2007 के जरिये रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में खसरा नम्बर 426, 434 में से 18 बीघा भूमि राजस्थान भू राजस्व नियम 1963 के अन्तर्गत आवंटन किए जाने की राजकीय स्वीकृति जिन शर्तों के साथ

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

प्रदान की, उक्त शर्तों को दृष्टिगत रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी दृष्टिगोचर नहीं होती हैं।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज़ की जाती हैं तथा जिला कलक्टर सिरोही द्वारा पारित आदेश क्रमांक/प.12(3)(66) राज./04/821–29 दिनांक 26.03.2007 की पुष्टि की जाती हैं। निर्णय की सत्य प्रतियों के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 15.2.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
कैम्प सिरोही